न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80 / 2024

1. अमरजीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रमनदीप कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखवीर कौर उर्फ सुखदीप कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. जुगल किशोर पुत्र सन्तलाल जाति अरोडा निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राकेश कुमार पुत्र सन्तलाल जाति अरोडा निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गायत्री देवी पत्नी कुलदीप सहारण जाति जाट निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. महेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. सीमा ग्रोवर पत्नी गोविन्द ग्रोवर जाति अरोडा निवासी मकान न० 141 पुरानी आबादी मोहरसिंह चौंक श्रीगंगानगर
6. लाभ सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. गोविन्द्र सिंह पुत्र लाभ सिंह जटसिख निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. ज्ञानचन्द पुत्र जानीराम जाति अरोडा निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. देवीदयाल पुत्र जानीराम जानीराम जाति अरोडा निवासी 9 एम एल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. सुनीता अरोडा पत्नी तुलसी दास अरोडा जाति अरोडा निवासी मकान न० सी 78 सुशांत लोक 2 सेक्टर 55 विलेज घाटा, गुडगांव हरियाणा

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

प्रार्थीगण

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा

अप्रार्थी– 1

3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार चक 10 एलएल पटवार हल्का लठावाली तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/52 के मु.नं. 25 का किला नं. 1 ता 25 व मु.नं. 9 का किला नं. 1 ता 15 की 10.0420 हैक्टर नहरी रकबा प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा मुरबा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 15,24,25 की 3.57 हेक्टर रकबा प्रार्थी 1 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मु0न0 21 का किला न. 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.036 हेक्टर अप्रार्थी स० 3 के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने रकबे की अच्छी सिंचाई के लिए चक 10 एमएल के मु0न0 5 के किला न0 25 में 1986 में ट्यूब्वैल स्थापित कर रखा है जो कि चल रहा है इस ट्यूब्वैल का पानी मु0न0 5 के किला न0 25 से मु0न0 21 के किला न0 25 तक पाईप लाईन बिछाई गई है जो मु0न0 5 के किला न0 25 से 21 होकर मु0न0 9 के किला न० 1 ता 5 जो प्रार्थीगण के है में से होकर पाईपलाईन मु०न० 3 किला न0 5, 6, 15, 16, 25 (जो अप्रार्थी स० 6 व 7) के है से होकर मु०न० 44 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 जिसमें किला न0 5,6 (अप्रार्थी स० 1 जुगल किशोर के) व किला न0 15 (अप्रार्थी स0 2 राकेश कुमार व प्रार्थीगण के), किला न0 16 (गायत्री देवी) किला न0 25 (गायत्री देवी व महेन्द्र कुमार) अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर चक 9 एमएल के मु0न0 39 के किला न0 5,6,15,16,25 जो (प्रार्थी स० 1 व 3 व अप्रार्थी स० 5) की भूमि से होकर मु0न0 27 के किला न0 21,20,11,10,1 (जो अप्रार्थी 8 ता 11 की) भूमि में से होकर मु0न0 21 के किला न0 25 (जो प्रार्थी स० 3 के नाम से दर्ज है) तक 3 फीट गहरी पाईप लाईन सन 1986 से बिछाई हुई है। इस पाईपलाईन से प्रार्थीगण के मु0न0 5 के किला न० 25 में स्थित ट्यूब्वैल का पानी प्रार्थीगण के मु०न० 9,39, 21 में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रार्थीगण की पाईपलाईने जो जमीन से करीब 3 फुट नीचे है जिस पर प्रार्थीगण का काफी खर्चा हुआ है यह टयूब्वैल के पानी के इस्तेमाल के लिए सन 1986 से पाईपलाईन बिछाई गई थी तब सभी सहकाश्तकार सहमत थे तथा सभी सहकाश्तकारो की सहमती ली गई थी यह पाईपलाईन आज भी मौके पर चल रही है इस पाईप लाइनो से मु0न 9,39,21 में सिंचाई होती है । उक्त पाईप लाईन जो अप्रार्थी स० 1 ता 4 के रकबे मु0न0 44 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 जिसमें किला न0 5,6 (अप्रार्थी स० 1 जुगल किशोर के) व किला न0 15 (अप्रार्थी स० 2 राकेश कुमार व प्रार्थीगण के), किला न0 16 (गायत्री देवी) किला न0 25 (गायत्री देवी व महेन्द्र कुमार) अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर भूमिगत बिछाई गई है अप्रार्थी स० 1 ता 4 इस हेतू प्रार्थीगण के साथ सहमत थे परन्तु अब अप्रार्थीगण स० 1 ता 4 जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे है जिसके कारण अप्रार्थी स० 1 ता 4 कुछ दिनो से ऐतराज कर रहे है तथा प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि इन पाईपलाईनो उखाड कर फैंक देगे, इसलिए अलग से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थीगण टयूब्वैल के पानी वाली पाईपलाईन से सन 1986 से पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर रहा है तथा आज भी पानी के लिए पाईपलाईन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है प्रार्थीगण लगातार इन भूमिगत पाईपलाईन से टयूब्वैल का पानी प्राप्त कर रहा है जिससे प्रार्थीगण की फसल अच्छी हो रही है तथा जरूरत पर पानी मिल जाता है और रकबे में सुधार हो रहा है, प्रार्थीगण सिंचाई की जोत के प्रयोजन के लिए पाईपलाईन मंजूर करवाना चाहता है। पाईप लाईनो के लिए उक्त सबसे छोटा रास्ता है सिंचाई प्रयोजन के लिए प्रार्थीगण को इस पाईपलाईन की अतिआवश्यकता है तथा पूर्व से पाईपलाईने चल रही है जिससे किसी अन्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

[illegible]

को कोई नुकसान नहीं है इन पाईपलाईनों के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प
नहीं है इसलिए न्याय हित में पाईपलाईनों की मंजूरी दी जानी आवश्यक है। इन
पाईपलाईनों को मन्जूर करवाने के लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 ता 11 से दिनांक
25.5.2024 को सम्पर्क किया तथा निवेदन किया कि इन पाईपलाईनों को मंजूर करवाने में
सहयोग करे तथा प्रार्थी की पाईपलाईनों में किसी प्रकार की छेड़खानी न करे तथा उखाड़े न
तथा किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करे तो अप्रार्थी सं० 1 ता 11 ने साफ मना कर दिया
है यही वाद कारण है। अप्रार्थी सं० 12 आवश्यक पक्षकार न होने के कारण औपचारिक पक्षकार
बनाया जा रहा है अप्रार्थी सं० 13 लोक सेवक होने कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया
है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए यह प्रार्थनापत्र
माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकार का है तथा अन्दर अवधि कोर्ट फीस
पर पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 10 एमएल
तहसील श्रीगंगानगर के मु०न० 5 के किला न० 26 में स्थित ट्यूबवेल से किला नं० 24 व 21
व मु०न० 9 के किला नं० 1 ता 5 से मु०न० 3 व 44 के किला न० 5, 6, 15, 16, 25 व से
होकर चक 9 एमएल के मु०न० 39 के किला न० 5, 6, 15, 16, 25 से होकर मु०न० 27 के
किला नं० 21, 20, 11, 10, 1 से होकर मु०न० 21 के किला न० 25 तक 3 फीट गहरी
बिछाई गई पाईपलाईन को स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया
गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 10 एम.
एल. के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 में स्थापित ट्यूबवेल के पानी के लिए कोई पाईप
लाईन अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि वाके चक 9 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 44 के किला
नम्बर 5 व 6 में नहीं डाली हुई है और न ही कोई पाईप लाईन अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि
भूमि में कभी भी वर्ष 1986 से लगातार चली आ रही है। यह तथ्य प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त व
निराधार अंकित किये गये हैं। कानूनन भूमिगत पाईप लाईन बिना भू-स्वामी की स्वीकृति के
डाली नहीं जा सकती और न ही ऐसी कोई स्वीकृति अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा या उसके पूर्वजों
द्वारा कभी भी प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों मको नहीं दी गई। मात्र इस आवेदन पत्र का आधार
बनाने के लिए उक्त तथ्य प्रार्थीगण द्वारा झूठे व मनगढ़त अंकित किए गए है। वैसे भी चक
10 एम. एल. की रोही के लिए चक 9 एम.एल. की कृषि भूमि में से पाईप लाईन नहीं डाली
जा सकती। मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 25 के ट्यूबवेल का पानी प्रार्थीगण
अण्डरग्राऊण्ड पाईप लाईन से न ले जाकर सरकारी खाल के माध्यम से ले जाते हैं। अप्रार्थी
संख्या 1 की कृषि भूमि में कोई पाईप लाईन ट्यूबवेल के पानी हेतु दबी हुई नहीं है और न
ही चालू है तथा है तथा न ही कोई सहमति अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा या उसके पूर्वजों द्वारा
प्रार्थीगण या उसके पूर्वजों को कभी दी गई है और न ही किसी पाईप लाईन से मुरब्बा नम्बर
9, 39, 21 कोई सिंचाई होती है, बल्कि ट्यूबवेल के पानी को प्रार्थीगण सरकारी खाल के
माध्यम से ही आज तक ले जा रहे हैं। यह समस्त तथ्य इस मद में मात्र प्रार्थना पत्र का
आधार बनाने के लिए झूठे व मनगढ़त अंकित किए गए हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में
अंकित तथ्य जिस तरह से वर्णित किए गए हैं, बवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। जैसा
कि पूर्व की मदों के जवाब में विस्तारपूर्वक अंकित किया जा चुका है कि कोई पाईप लाईन
अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि वाके चक 10 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर
5 व 6 में डाली हुई नहीं थी और न ही कोई सहमति अप्रार्थी संख्या 1 या उसके पूर्वजों
द्वारा प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को दी। जब कोई पाईप लाईन ही नहीं है तो प्रार्थी द्वारा
और पाईप लाईनों को उखाड़ फैंकने के तथ्य स्वतः ही गलत हो जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

की कृषि भूमि वाके चक 10– एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5, 6 में कोई पाईप लाईन नहीं है और न ही कोई सहमति दी गई है और न ही पानी चालू है। जब पाईप लाईन ही नहीं है तो पानी चालू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण अपने रकबा में ट्यूबवैल का पानी सरकारी खाल की मार्फत ले जा रहे हैं। उन्हें पाईप लाईन डालने या इस हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में अंकित तथ्य बेवजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। जैसा कि पूर्व की मदों के जवाब में विस्तारपूर्वक अंकित किया जा चुका है कि प्रार्थीगण ट्यूबवैल का पानी सरकारी खाल के माध्यम से लगा रहे हैं, इस कारण उन्हें अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के किला नम्बर 5 व 6 में पाईप लाईन दबाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक नुकसान का तथ्य अंकित किया गया है, इस सन्दर्भ में लेख है कि अप्रार्थी संख्या 1 न तो अपनी कृषि जोत को पाईप लाईन टूटने के भय से जोत पाएगा और न ही अपनी भूमि के साथ–साथ कोई बड़े पेड़ लगा पाएगा, जबकि बड़े पेड़ पर्यावरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि यदि पाईप लाईन डाली गई तो अप्रार्थी को अत्यधिक नुकसान होगा, वह अपने स्वामित्व की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि पाईप लाईन नहीं डाली जाती तो प्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वह ट्यूबवैल का पानी सरकारी खाल के माध्यम से ले जा रहा है। उक्त मद में अंकित तथ्य मद संख्या 6 में अंकित तथ्यों के विरोधाभासी हैं जो स्वीकार होने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक ही प्राप्त नहीं है। इस कारण ही प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र में भी यह कहीं अंकित नहीं किया कि उन्हें उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक कब, कैसे व कहां प्राप्त हुआ। इस कारण विना वाद हेतुक के उक्त आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। इसी आधार पर ही आवेदन पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अन्य आपत्तियां– यह कि आवेदन पत्र में जो रिपोर्ट मंगवाई गई है, वह भी पटवारी हल्का द्वारा की गई है। धारा 69, सी०पी०सी० के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इस कारण भी उक्त आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की तलबी विधिवत होने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस में वकील उभयपक्ष द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रकरण का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया जहां पर सम्बन्धित पक्षकार व भू.अ.निरक्षक मौका पर उपस्थित मिले। मौका निरीक्षण में पाइप लाइन पूर्व से ही भूमि में डाली होना साबित हुआ। प्रार्थी उक्त डाली हुई पाइप लाइन से अपनी कृषि भूमि में सिंचाई करता है। अतः प्रार्थी को पाइपलाइन की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक पाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के मु0न0 5 के किला न0 25 में स्थित ट्यूब्वैल से किला न० 24 से 21 व मु०न0 9 के किला न० 1 ता 5 से मु0न0 3 व 44 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में से होकर चक 9 एमएल के मु०न० 39 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 से होकर मु0न0 27 के किला न० 21, 20, 11, 10, 1 से होकर मु0न0 21 के किला न0 25 तक 3 फीट गहरी बिछाई गई पाईपलाईन की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

1. प्रार्थी 8.25 फुट चौड़ाई की भूमि जहां तक पाइन लाइन बिछाई जानी है, की नपाई कर कुल क्षेत्रफल का डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत के हिसाब से तहसील श्रीगंगानगर में एक माह के भीतर पैसे जमा करावे। प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में पैसे जमा नहीं करवाये जाने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्त जमा राशि को प्रभावित पक्षकार को अपने स्तर पर वितरित करे।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर उक्त नुकसान की भरपाई एवं पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जावेगी।
3. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़ने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपने खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner